भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 629

26 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र में सरकार की पहल और नीतियां

629. डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की इस्पात क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए कोई स्कीम या प्रोत्साहन योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पिछले एक साल में इस्पात क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने या बाजार स्थिति को बेहतर करने के उद्देश्य से कोई नई नीति या पहल शुरू की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार के पास इस्पात का उत्पादन और उसकी खपत बढ़ाने के लिए कोई नए उपाय या कार्यक्रम हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री एच.डी. कुमारास्वामी)**

(क): जी, हां। सरकार ने देश में 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेशों को आकर्षित कर आयात को कम करने के लिए विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की है। पीएलआई योजना के तहत विशेष इस्पात हेतु 29,500 करोड़ रुपए का प्रत्याशित अतिरिक्त निवेश और विशेष इस्पात के लिए लगभग 25 मिलियन टन (एमटी) की अतिरिक्त क्षमता का सृजन अपेक्षित है।

(ख) और (ग): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास हेतु अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। देश में इस्पात के उत्पादन और खपत में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:-

i. सरकारी अधिप्राप्ति हेतु मेड इन इंडिया इस्पात को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीति का कार्यान्वयन।

ii. सरकार ने देश में 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेशों को आकर्षित कर आयात को कम करने के लिए विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की है। पीएलआई योजना के तहत विशेष इस्पात हेतु 29,500 करोड़ रुपए का प्रत्याशित अतिरिक्त निवेश और विशेष इस्पात के लिए लगभग 25 मिलियन टन (एमटी) की अतिरिक्त क्षमता का सृजन अपेक्षित है।

जारी.....2/-

iii. देश में इस्पात के उपयोग, इस्पात की समग्र मांग और इस्पात क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए रेलवे, रक्षा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, आवासन, नागर विमानन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्रों सहित संभावित उपयोगकर्ताओं के साथ और अधिक सहभागिता के साथ मेक इन इंडिया पहल और प्रधानमंत्री गति-शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान।

iv. इस्पात बनाने हेतु अधिक अनुकूल शर्तों पर कच्चे माल की उपलब्धता को और अधिक अनुकूल बनाने के लिए अन्य देशों के अलावा मंत्रालयों व राज्यों के साथ समन्वय करना।

v. घरेलू स्तर पर उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।

vi. गैर-मानकीकृत इस्पात के विनिर्माण एवं आयात को रोकने तथा बड़े पैमाने पर आम जनता को गुणवत्तापूर्ण इस्पात उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए 145 इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को अधिसूचित करना।

****